रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 47] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 28, 1972/फाल्गुन 9, 1893

No. 47] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 28, 1972/PHALGUNA 9, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

PUBLIC NOTICES

New Delhi, the 28th February 1972

No. DRAWBACK(PN)-18/72.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. Drawback/PN-1 dated the 15th October, 1971 with effect from 1st February, 1972.

1. For Sub-clause (e), (f) and (g) of clause (A) of Sub-Serial No. 2502 and the entries relating thereto the following shall be substituted:—

(e) Acrylic fibre content	Rs. 13·82 per Kg.
(f) Polyamide fibre content	Rs. 40·09 per Kg.
(g) Wool content	
(i) in the worsted yarn of weaving quality. . .	Rs. 9·61 per Kg.
(ii) in the worsted yarn of hosiery quality. . .	Rs. 6·69 per Kg.

2. In Sub-clause (i) of Clause (F) of Sub-serial No. 2503 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

(i) polyamide fibre content	Rs. 41·80 per Kg.

3. In Sub-clause (iii) of Sub-Serial No. 2612 and the entries relating thereto, the following shall be substituted:—

(iii) Wool content —	
(a) in worsted fabrics	Rs. 10·02 per Kg.
(b) in worsted hosiery	Rs. 6·99 per Kg.

4. In Sub-clause (iii) of Sub-serial No. 2613 and the entries relating thereto, the following shall be substituted:—

(iii) Wool content —	
(a) in worsted fabrics	Rs. 10·02 per Kg.
(b) in worsted hosiery	Rs. 6·99 per Kg.

5. In Sub-clause (i) and (ii) of Sub-serial No. 2614 and the entries relating thereto, the following shall be substituted:—

(i) acrylic fibre content	Rs. 14·41 per Kg.
(ii) Wool content:—	
(a) in worsted fabrics	Rs. 10·02 per Kg.
(b) in worsted hosiery	Rs. 6·99 per Kg.

6. In Sub-clause (i) and (ii) of Sub-serial No. 2615 and the entries relating thereto, the following shall be substituted:—

(i) acrylic fibre content	Rs. 14·41 per Kg.
(ii) Wool content —	
(a) in worsted fabrics	Rs. 10·02 per Kg.
(b) in worsted hosiery	Rs. 6·99 per Kg.

7. In Sub-clause (i) of Sub-serial No. 2616 and the entries relating thereto, the following shall be substituted:—

(i) Polyamide fibre content	Rs. 41·80 per Kg.

8. In Sub-clause (i) and (ii) of Sub-serial Nos. 2617 and 2618 and the entries relating thereto, the following shall be substituted:—

(i) polyamide fibre content.	Rs. 41·80 per Kg.
(ii) wool content —	
(a) in worsted fabrics	Rs. 10·02 per Kg.
(b) in worsted hosiery	Rs. 6·99 per Kg.

9. In Sub-clause (i) of Sub-serial No. 2626 and the entries relating thereto, the following shall be substituted:—

(i) wool content	Rs. 4·60 per Kg.

10. In Sub-clause (iii) of Sub-serial No. 2711 and 2712 and the entries relating thereto, the following shall be substituted:—

(iii) Wool content —	
(a) in worsted fabrics	Rs 10·02 per Kg.
(b) in worsted hosiery	Rs. 6-99 per Kg.

11. In Sub-clause (i) and (ii) of Sub-serial Nos. 2713 and 2714 and the entries relating thereto, the following shall be substituted:—

(i) Acrylic fibre content	Rs. 14·41 per Kg.
(ii) wool content —	
(a) in worsted fabrics	Rs. 10·02 per Kg.
(b) in worsted hosiery	Rs. 6·99 per Kg.

12. In Sub-clause (i) of Sub-serial No. 2715 and the entries relating thereto, the following shall be substituted:—

(i) polyamide fibre content	Rs. 41·80 per Kg.

13. In Sub-clause (i) and (ii) of Sub-serial No. 2716 and 2717 and the entries relating thereto, the following shall be substituted:—

(i) Polyamide fibre content	Rs. 41·80 per Kg.
(ii) Wool content—	
(a) in worsted fabrics.	Rs. 10·02 per Kg.
(b) in worsted hosiery.	Rs. 6·99 per Kg.

14. In Sub-clause (i) and Sub-serial No. 2719 and the entries relating thereto, the following shall be substituted:—

(i) Wool content	Rs. 4 60 per Kg.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

सार्वजनिक सूचनाएं

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 1972

सं० प्रति प्रदायगी/सा०सू०/8/72.—सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निर्यात प्रतिश्रदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा० सं० 602/2/70-प्र० अदा०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना सं० प्रति-अदायगी/सा० सू०-1, दिनांक 15 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, जो 1 फरवरी 1972 से लागू होंगे :—

2. उप-क्रम सं० 2502 के खण्ड (क) के उप-खण्ड (ङ), (च) और (छ) तथा उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

(ङ) एक्रीलिक तन्तु अन्तर्वस्तु	13.82 रु० प्रति किलोग्राम
(च) पोलियामाइड तन्तु अन्तर्वस्तु	40.09 रु० प्रति किलोग्राम
(छ) ऊन अन्तर्वस्तु	
(i) बुनाई किस्म के वर्सटेड धागे में	9.61 रु० प्रति किलोग्राम
(ii) हौजरी किस्म के वर्सटेड धागे में	6.69 रु० प्रति किलोग्राम

2. उप-क्रम सं० 2503 के खण्ड (च) के उप-खण्ड (i) तथा उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित होंगी, अर्थात्—

(i) पोलियामाइड तन्तु अन्तर्वस्तु	41.80 रु० प्रति किलोग्राम

3. उप-क्रम सं० 2612 के उप-खण्ड (iii) तथा उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित होंगी :—

(iii) ऊन अन्तर्वस्तु —	
(क) वर्सटेड कपड़े मे	10.02 रु० प्रति किलोग्राम
(ख) वर्सटेड हौजरी मे	6.99 रु० प्रति किलोग्राम

4. उप-क्रम सं० 2613 के उप-खण्ड (iii) तथा उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित होंगी —

(iii) ऊन अन्तर्वस्तु —	
(क) वर्सटेड कपड़े मे	10.02 रु० प्रति किलोग्राम
(ख) वर्सटेड हौजरी मे	6.99 रु० प्रति किलोग्राम

5. उप-क्रम सं० 2614 के उप-खण्ड (i) और (ii) तथा उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित होंगी —

(i) एक्रिलिक तन्तु अन्तर्वस्तु	14.41 रु० प्रति किलोग्राम
(ii) ऊन अन्तर्वस्तु —	
(क) वर्सटेड कपडो मे	10.02 रु० प्रति किलोग्राम
(ख) वर्सटेड हौजरी मे	6.99 रु० प्रति किलोग्राम

6. उप-क्रम सं० 2615 के उप-खण्ड (i) और (ii) तथा उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित होंगी —

(i) एक्रीलिक तन्तु अन्तर्वस्तु	14.41 रु० प्रति किलोग्राम
(ii) ऊन अन्तर्वस्तु —	
(क) वर्सटेड कपड़े मे	10.02 रु० प्रति किलोग्राम
(ख) वर्सटेड हौजरी में	6.99 रु० प्रति किलोग्राम

7. उप-क्रम सं० 2616 के उप-खण्ड (i) तथा उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित होंगी :—

(i) पोलियामाइड तन्तु अन्तर्वस्तु	41.80 रु० प्रति किलोग्राम

8. उप-क्रम सं० 2617 और 2618 के उप-खण्ड (i) और (ii) तथा उससे संबन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित होंगी—

(i) पोलियामाइड तन्तु अन्तर्वस्तु	41.80 रु० प्रति किलोग्राम
(ii) ऊन अन्तर्वस्तु :—	
(क) वर्सटेड कपड़े में	10.02 रु० प्रति किलोग्राम
(ख) वर्सटेड हौजरी में	6.99 रु० प्रति किलोग्राम

9. उप-क्रम सं० 2626 के उप-खण्ड (i) तथा उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित होंगी :—

(i) ऊन अन्तर्वस्तु	4.60 रु० प्रति किलोग्राम

10. उप-क्रम सं० 2711 और 2712 के उप-खण्ड (iii) तथा उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित होंगी :—

(iii) ऊन अन्तर्वस्तु —	
(क) वर्सटेड कपड़े में	10.02 रु० प्रति किलोग्राम
(ख) वर्सटेड हौजरी में	6.99 रु० प्रति किलोग्राम

11. उप-क्रम सं० 2713 और 2714 के उप-खण्ड (i) और (ii) तथा उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित होंगी —

(i) एक्रिलिक तन्तु अन्तर्वस्तु	14.41 रु० प्रति किलोग्राम
(ii) ऊन अन्तर्वस्तु —	
(क) वर्सटेड कपड़े में	10.02 रु० प्रति किलोग्राम
(ख) वर्सटेड हौजरी में	6.99 रु० प्रति किलोग्राम

12. उप-क्रम सं० 2715 के उप-खण्ड (i) तथा उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित होंगी :—

(i) पोलियामाइड तन्तु अन्तर्वस्तु	41.80 रु० प्रति किलोग्राम

13. उप-क्रम सं० 2716 और 2717 के उप-खण्ड (i) और (ii) तथा उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित होंगी —

(i) पोलियामाइड तन्तु अन्तर्वस्तु	41.80 रु० प्रति किलोग्राम
(ii) ऊन अन्तर्वस्तु —	
(क) वर्सटेड कपड़े में	10.02 रु० प्रति किलोग्राम
(ख) वर्सटेड हौजरी में	6.99 रु० प्रति किलोग्राम

14. उप-क्रम सं० 2719 के उप-खण्ड (i) और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित होंगी :—

(i) ऊन अन्तर्वस्तु	4.60 रु० प्रति किलोग्रामक

No. DRAWBACK/(PN)-19/72.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1 dated the 15th October, 1971 with effect from the 1st February, 1972.

For Sub-Serial Numbers 1106, 1111, 1416, 1417, 1418, 1419, 1702, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 2102, 2109, 2110, 2202, 2203, 2302, 2303, 2403, 2404, 2416, 2504, 2506, 2508, 2602, 2603, 2604, 2605, 2622, 2722, 2723, 2802, 2803, 3202, 3402, 3602, 3603, 3604, 3605, 3606, 3607, 3608, 3609, 3610, 3611, 3613, 3614, 3615, 3616, 3617, 3618, 3619, 3620, 3621, 3622, 3623, 3624, 3625, 3626, 3627, 3628, 3629, 3630, 3631, 3632, 3633, 3634, 3635, 3636, 3637, 3638, 3639, 3640, 3702, 3704, 3706, 3707, 3708, 3801, 3802, 3803, 3808, 3809, 3810, 3811, 3812, 3817, 3820, 3821, 3822, 3823, 3902, 4102, 4602, 4603, 4604, 4605, 4607, 4610, 5003, 5202, 5803, and 5 903, and the entries relating therto the following shall be substituted, namely:—

Sub-Serial No.	Description of goods	Rate of drawback
1106	Lead Nitrate	Rs. 810/—per tonne.
1111	Coper Sulphate	Rs. 131/—per tonne.
1416	Red Lead	Rs. 1287·90 per tonne.
1417	White Lead	Rs. 1093·50 per tonne.
1418	Litharge	Rs. 1252·80 per tonne.
1419	Zinc Oxide.	Rs. 1187/ per tonne.
1702	(i) Cinema Films coloured . . .	Rs. 19·10 per hundred liner metres.
	(ii) Cinema Films Black and White. .	Rs. 10·50 per hundred liner metres.
1906	Articles or component parts of any articles made from acrylic moulding powder (excluding rigid plastic boards, sheeting, sheets and films, whether laminated or not and the articles made therefrom).	Rs. 250/—per quintal.

Provided that the procedures prescribed under rule 56-A or 191-A or 191-B of the Central Excise Rules, 1944 are not followed by the manufacturer/exporter in the manufacture of the said articles.

1907	Articles or component parts of any article made fron cellulose acetate moulding powder or cellulose acetate sheets or rods or tubes etc. (excluding rigid plastic boards, sheeting, sheets and films, whether laminated or not).	Rs. 810/—per quintal.

Provided that the procedures prescribed under rule 56-A or 191-A or 191-B of the Central Excise Rules, 1944 are not followed by the manufacturer/exporter in the manufacture of the said articles.

1908	Articles or component parts of any article made from cellulose acetate butyrate moulding powder (excluding rigid plastic boards, sheeting, sheets and films, whether laminated or not).	The amount of import duty per quintal of cellulose acetate butyrate moulding powder paid in the relevant bill of entry, or six hundred and twenty rupees per quintal whichever is less.

Provided that the exporter produces evidence to the satisfaction of the Collector of Customs and also produces a certificate from the manufacturer that a quantity of 105 kg. of cellulose acetate butyrate moulding powder has been imported by the exporter or the manufacturer and used, within a period of 12

months immediately preceding the date of such exportation, for the manufacture of every quintal of product exported and that the quantity of cellulose acetate butyrate moulding powder has not been:—

(a) similarly correlated to and accounted for against any other previous exportation of articles of collulose acetate butyrate moulding powder, or

(b) previously re-exported as such or in any other form with or without claim for drawback;

Provided further that the procedures prescribed under rule 56-A or 191-A or 191-B of the Central Excise Rules, 1944 are not followed by the manufacturer/ exporter in the manufacture of the said articles.

1909	Articles or component parts of any article made from cellulose nitrate sheets, rods, or tubes.	The amount of import duty per quintal of cellulose nitrate sheets, rods, tubes paid in the relevant bill of entry or one thousand four hundred and seventy two rupees per quintal whichever is less.

Provided that the exporter produces evidence to the satisfaction of the Collector of Customs and also produces a certificate from the manufacturer that a quantity of 105 Kg. of cellulose nitrate sheets, rods or tubes has been imported by the exporter or the manufacturer and used, within a period of 12 months immediately preceding the date of such exportation, for the manufacture of every quintal of product exported and that the quantity of cellulose nitrate sheets, rods or tubes has not been :—

(a) similarly correlated to and accounted for against any other previous exportation of articles of cellulose nitrate sheets, rods or tubes; or

(b) previously re-exported as such or in any other form with or without claim for drawback;

Provided further that the procedures prescribed under rule 56-A or 191-A or 191-B of the Central Excise Rules, 1944 are not followed by the manufacturer/ exporter in the manufacture of the said articles.

1910	Articles or component parts of any article made from phenol formaldehyde moulding powder (excluding rigid plastic boards, sheeting, sheets and films, whether laminated or not).	
	(A) Plastic components of the electrical accessories.	The amount of import duty per quintal of phenol formaldehyde moulding powder paid in the relevant bill of entry, or nine hundred and fifty rupees per quintal, whichever is less.

Provided that:—

(i) where the exporter produces evidence to the satisfaction of the Collector of Customs and also produces a certificate from the manufacturer that a quantity of 110 Kg. of phenol formaldehyde moulding powder has been imported by the exporter or the manufacturer and used, within a period of 12 months immediately preceding the date of such exportation, for the manufacture of every quintal of the product exported and that the quantity of phenol formaldehyde moulding powder has not been:—

(a) similarly correlated to and accounted for against any other previous exportation of articles of phenol formaldehyde moulding powder; or

(b) previously re-exported as such or in any other form with or without claim for drawback.

the rate shall be apply *in toto*

(ii) where the evidence specified above is not produced, the rate shall be Rs. 164.00 per quintal.

Provided further that the procedures prescribed under rule 56-A or 191-A or 191-B of the Central Excise Rules, 1944, are not followed by the manufacturer/ exporter in the manufacture of the said articles.

(B) Al other aritcles . . . . Rs. 164·00 per quintal.

Provided that the procedures prescribed under rule 56-A or 191-A or 191-B of the Central Excise Rules, 1944 are not followed by the manufacturer/ exporter in the manufacture of the said articles.

1911	Articles or component parts of any article made from polyamide moulding powder (excluding rigid plastic boards, sheeting, sheets and films, whether laminated or not).	The amount of import duty per quintal of polyamide moulding powder paid in the relevant bill of entry or one thousand five hundred and fiifty-eight rupees per quintal, whichever is less.

Provided that the exporter produces evidence to the satisfaction of the Collector of Customs and also produces a certificate from the manufacturer that a quantity of 105 Kg. of polymide moulding powder has been imported by the exporter for the manufacturer and used within a period of 12 months immediately preceding the date of such exportation for the manufacture of every quintal of the product exported and that the quantity of polymide moulding powder has not been:—

(a) similarly correlated to and accounted for against any other previous exportation of the said articles; or

(b) previously re-exported as such or any other form with or without claim for drawback.

Provided further that the procedures prescribed under rule 56-A or 191-A or 191-B of the Central Excise Rules, 1944, are not followed by the manufacturer/ exporter in respect of the said articles.

1912	Article or component parts of any article made from acrylic sheets.	The amount of import duty per quintal of acrylic sheets paid in the relevant bill of entry or six hundred and fifty-four rupees per quintal, whichever is less.

Provided that:—

(i) where the exporter produces evidence to the satisfaction of the Collector of Customs and also produces a certificate from the manufacturer that a quantity of 105 Kg. of acrylic sheets has been imported by the exporter or manufacturer and used, within a period of 12 months immediately preceding the date of such exportation, for the manufacture of every quintal of product exported and that the quantity of acrylic sheet has not been:—

(a) similarly correlated to and accounted for against any other previous exportation of articles of acrylic sheets or

(b) previously re-exported as such or any other form with or without claim for drawback.

(ii) where the evidence specified above is not produced the rate shall be Rs. 576.00 per quintal.

Provided further that the procedures prescribed under rule 56-A or 191-A or 191-B of the Central Excise Rules, 1944, are not followed by the manufacturer/ exporter in the manufacture of the said articles.

1913	Articles or component parts of any article made from polystyrene moulding powder (excluding rigid plastic board, sheeting, sheets and films wheather laminated or not).	Rs. 147·00 per quintal.

Provided that the procedures prescribed under rule 56-A or 191-A or 191-B of the Central Excise Rules, 1944 are not followed by the manufacturer/ exporter in the manufacture of the said articles.

914	Articles or component parts of any article made from polyethylene moulding powder (exckuding rigid plastic board, sheeting, sheets and films whether laminated or not).	Rs. 131·00 per quintal.

Provided that the procedures prescribed under rule 56-A or 191-A or 191-B of the Central Excise Rules, 1944 are not followed by the manufacturer/ exporter in respect of the said articles.

1915	Articles or component parts of any article made from Urea formaldehyde moulding powder (excluding rigid plastic board, sheeting sheets and films wheather laminated or not).	Rs. 217·00 per quintal.

Provided that the procedures prescribed under rule 56-A or 191-A or 191-B of the Central Excise Rules, 1944 are not followed by the manufacturer/ exporter in respect of the said articles.

1916	Articles or components parts of any article made from polypropylene moulding powder (excluding rigid plastic boards, sheeting sheet and films whather laminated or not).	The amount of import duty per quintal of the polypropylene moulding powder paid in the relevant bill of entry or five hundred and seventy rupees per quintal whichever is less.

Provided that:—

(i) where the exporter produces evidence to the satisfaction of the Collector of Customs, and also produces the certificate from the manufacturer that a quantity of 105 Kg. of polypropylene moulding powder has been imported by the exporter or the manufacturer and used, within a period of 12 months immediately preceding the date of such exportation, for the manufacture of every quintal of product exported and that the quality of polypropylene moulding powder has not been:—

(a) similarly correlated to and accounted for against any other previous exportation of articles of polypropylene moulding powder, or

(b) previously re-exported as such or in any other form with or without claim for drawback.

the rate shall be apply *in toto*;

(ii) where the evidence specified above is not produced the rate shall be Rs. 131.00 per quintal.

Provided further that the procedures prescribed under rule 56-A or 191-A or 191-B of the Central Excise Rules, 1944, are not followed by the manufacturer/ exporter in respect of the said articles.

1917	Articles or component parts of any article made from melamine formaldehyde moulding powder (excluding rigid plastic boards, sheeting, sheets or films, whether laminated or not).	Rs. 460·00 per quintal.

Provided that the procedures prescribed under rule 56-A or 191-A or 191-B of the Central Excise Rules, 1944 are not followed by the manufacturer/ exporter in respect of the said articles.

1918	Articles or components parts of any article made from polyvinyl chloride composition (excluding rigid plastic boards, sheeting, sheets and filems whether laminated, or not and flexible polyvinyl chloride sheetings, sheets, films and ay flat tubing, whether containing any textile material or not).	
	(a) Flexible	Rs. 60·00 per quintal.
	(b) Rigid	Rs. 99·00 per quintal.

Provided that the procedures prescribed under rule 56-A or 191-A or 191-B of the Central Excise Rules, 1944 are not followed by the manufacturer/exporter in respect of the said articles.

1919	Unlaminated rigid plastic boards, sheeting, sheets or films made from acrylic plastics	Rs. 150 00 per quintal.
1920	Unlaminated rigid plastic boards, sheeting sheets or films, made from cellulose acetate moulding powder.	Rs 430 00 per quintal.
1921	Flexible polyvinyl chloride sheeting, sheets films and lay flat tubings not containing textile material.	Rs. 67 00 per quintal

Provided that :—

(i) where the procedures prescribed under rule 56-A or 191-A or 191-B of the Central Excise Rules, 1944 are not followed by the manufacturer/exporter in the manufacture of goods mentioned above the rate shall apply *in toto*.

(ii) where the procedures specified above are followed, the rate shall be nil.

1922	Article or component parts of any article made of styrene acrylonitrile copolymer (excluding rigid plastic boards, sheeting, sheets and films, whether laminated or not).	The amount of import duty per quintal of styrene acrylonitrile copolymer paid in the relevant bill of entry or four hundred & sixty two rupees per quintal, whichever is less.

Provided that the exporter produces evidence to the satisfaction of the Collector of Customs that a quantity of 105 Kgs of styrene acrylonitrile copolymer has been imported by the exporter or the manufacturer and used with a period of 12 months immediately preceding the date of such exportation, for the manufacture of every quintal of product exported and that the quantity of styrene acrylonitrile copolymer has not been:—

(a) similarly correlated to and accounted for against any other previous exportation of articles of styrene acrylonitrile copolymer, or

(b) previously re-exported as such or in any other for with or without claim for drawback.

Provided further that the procedures prescribed under rule 56-A or 191-A or 191-B of the Central Excise Rules, 1944, are not followed by the manufacturer/exporter in the manufacture of the said articles.

1923	Spectacle frames, spectacles and sun goggles with or without lenses/glare glasses, and whether or not fitted with any of the following materials, namely, hinges, rivets, shields, joints, wire in-sides.	
	(a) made from cellulose nitrate sheets.	220 of the F. O. B Value
	(b) made from cellulose acetate sheets.	35·5% of the F. O. B. Value.
1924	Spectacle frames/spectacles and sun goggles with or without lenses/glare glasses, whether or not fitted with any of the following materials, namely, hinges, rivets shields joints, wire in-sides, but containing one or more of the following material, namely rolled gold or gold plated wire and/or components, aluminium anodised sides, plastic nose pads, plastic tips.	
	(a) made from cellulose nitrate sheets.	26 80 of the F. O. B. value
	(b) made from cellulose acetate sheets.	25% of the F. O. B. Value

1925	Moulded speciale frames/spectacles and sun goggles made from cellulose acetate mouing powder with or withhout lenes/gl arc glasses, whether or not fitted with any of the following materials, namely, hinges, rivets, shields joints, wire in-sides, gold plated wire and/or components aluminium anodised sides, plastic nose pads, plastic tips.	17·80% of the F.O.B. value.
1926	Fronts. and sides:—	
	(a) made from cellulose nitrate sheetss.	21·1% of the F. O. B. Value.
	(b) made from cellulose acetate sheets,	38·90% of the F. O. B. Value.
2102	(a) Es I. tanned hides and calf skins, namely, cow hides, buffalo hides, kips, cow calf and buffalo calf.	Rs. 0·61 per Kg.
	(b) E. I. tanned skins, namely Goat skins and sheep skins.	Rs. 0·66 per kg.
2109	Chrome Leather washers all sorts	Rs. 596/- per tonne.
2110	Leather picker.	Rs. 7·65 per gross.
2202	Complete Tea Chests filled made of plywood panels.	Rs. 131/- per 100 sq. metres of surface area of tea chests.
2203	Plywood panels and fittings of Tea Chests	
	(i) Plywood panels for Tea chests.	Rs. 74·50 per 100 sq. metres.
	(ii) Metal fittings of Tea chests made of tinplate.	Rs. 0·60 per kg.
	(iii) Wire nails, tentor hooks and rivets	Rs. 0·19 per kg.
	(iv) Tissue paper for wrapping battens or for lining aluminium foil.	Rs. 0·42 per kg.
	(v) Aluminium foil.	Rs. 4·25 per kg.
2302	Cork stoppers.	Rs. 60·45 per quintal.
2303	Cork Discs.	Rs. 64·00 per quintal.
2403	Carbon paper black in the manufacture of which imported tissue paper has been used.	Rs. 149·45 per one hundred boxes of hundred foolscape sheets each, when packed in boxes and Rs. 145·30 per 10,000 foolscape sheets when not packed in boxes.
2404	Carbon paper other than black in the manufacture of which imported tissue paper has been used.	Rs. 127·25 per one hundred boxes of hundred foolscape sheets each, when packed in boxes, and Rs. 123·10 per 10,000 foolscape sheets when not packed in boxes.

NOTE :— (1) The term 'foolscape' under column 4 against sub-Serial No. 2403 to 2404 refers to size 330 mmX215 mm.

(2) The rate of drawback on carbon paper of sizes other than foolscape will be proportionately higher or lower than the rates indicated above accordingly as the area of such paper is higher or lower than foolscape size.

2416	Flat files fitted with clips.	(i) Rs. 648/- per tonne of tinplate. content. (ii) Rs. 440/- per tonne of pulp board content.

2504	Cotton yarn—	
	(i) if the yarn is of above 60s counts.	Rs. 24·48 per quintal.
	(ii) if the yarn is of above 40s counts but not above 60s counts.	Rs. 6·92 per quintal.
2506	Jute yarn, twist, twine and rope.	Rs. 560 - per tonne.

Provided that the rebate of Central Excise under Rule 12 of the Central Excise Rules, 1944 is not claimed or benefits under Rule 191-A or Rule 191-B of the said rules are not availed of by the manufacturer.

2508	Ropes, lines, cordages, twines and slings made wholly or partly from the following fibres—	
	(a) Sisal fibre.	Rs. 364/- per tonne of fibre content.
	(b) Manila hemp fibre.	Rs. 964·75 per tonne of fibre content.
2602	Processed fabric in which the average count of yarn is above 60s.	Rs. 24·48 per quintal.
2603	Unprocessed fabric in which average count of yarn is above 60s.	Rs. 23·57 per quintal.
2604	Processed fabrics in which the average count of yarn is above 40s and not above 60s.	Rs. 6·92 per quinta .
2605	Unprocessed fabrics in which the average count of yarn is above 40s but not above 60s.	Rs. 6·66 per quintal.
2622	Jute fabrics.	
	(i) Hessians.	Rs. 605/- per tonne.
	(ii) Others.	Rs. 560/- per tonne.

Provided that the rebate of Central Excise duty under Rule 12 of the Central Excise Rules, 1944 is not claimed or benefits under Rule 191-A or Rule 191-B of the said rules are not availed of by the manufacturer.

2722	Jute manufactures not elsewhere specified	Rs. 560/- per tonne.

Provided that the rebate of Central Excise duty under rule 12 of the Centra Excise Rules, 1944 is not claimed or benefits under rule 191-A and rule 191-B of the said rules are not availed of by the manufacturer.

2723	Coir products containing jute and sisal.	Appropriate rate under Sub-Serial No. 2508(a) in so far as Sisal fibre content is concerned plus appropriate rate for jute content, if any, as specified under sub-serial No. 2622.
2802	Woollen carpets.	Rs. 0·65 per kg.

"*Explanation*" The woollen carpet means carpet woollen yarn content of which are not less than 50%

2803	Coir and sisal mats or mattings.	Appropriate rate under Sub-Serial No. 2508(a) in so far as Sisal fibre content is concerned plus the appropriate rate for jute content, if any, as specified against Sub-Serial No. 2622.
3202	Asbestos cement products.	Rs. 699·12 per metric tonne of Asbestos content and Rs. 32·24 per metric tonne of cement content.

3402	(i) Glass including wired and figures glass and glass ware where benefits under rule 12 of the Central Excise Rules, 1944 have been availed of—	
	(a) Laboratory glassware.	Rs. 54·50 per tonne.
	(b) Others.	Rs. 12·80 per tonne.
	(ii) Glass including wired and figured glass and glassware but excluding laboratory glassware where benefits under Rule 12 of the Central Excise Rules, 1944 have not been availed of.	Rs. 152·80 per tonne.
3602	Printed tinned plates/tinned sheets.	Rs. 600/- per tonne.

Provided that rebate of duty of Central Excise on tinned plates/tinned sheets used in the manufacture of printed tinned plates/tinned sheets is not claimed by the exporter separately under the Central Excise Rules, 1944 and the export goods are made of duty paid tinned plate or tinned sheets.

3603	Baling hoops.	Rs. 283/- per tonne.
3604	Box strappings, steel hoop.	Rs. 283/- per tonne.
3605	Expanded metal fabricated steel structurals.	Rs. 283/- per tonne.
3606	Fabricated steel structurals other than tubular steel structurals—	
	(i) Ungalvanised.	Rs. 196/- per tonne.
	(ii) Galvanised.	Rs. 280/- per tonne.
3607	Steel arc welding electrods.	Rs. 196/- per tonne.
3608	Steel pipes and tubes all sorts, including electric conduit pipes, tubular steel furniture, furniture tubes and Gas tubes and fittings thereof.	
	(a) Seamless pipes and tubes—	
	(i) Ungalvanised.	Rs. 212/- per tonne.
	(ii) Galvanised.	Rs. 295/- per tonne.
	(b) Pipes and tubes with wall thickness of 5 mm and more.	
	(i) Ungalvanised.	Rs. 212/- per tonne.
	(ii) Galvanised.	Rs. 295/- per tonne.
	(c) Pipes and tubes with wall thickness less than 5 mm made out of skelp or C.R. sheets or C.R. strips.	
	(i) Ungalvanised.	Rs. 393/- per tonne.
	(ii) Galvanised.	Rs. 464/- per tonne.

Provided that :—

the drawback at the rates at sub-item (c) above shall apply if at the time of exportation, the exporter produces evidences to the satisfaction of the Assistant Collector of Customs that the goods have been manufactured out of skelp or C.R. sheets or C.R. strips and appropriate duty at the rate applicable to skelp/C.R. sheets/C.R. strips under Item No. 26AA of the first Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) has been paid on such skelp/C.R. sheets/C.R. strips.

	(d) Pipes and tubes with wall thickness less than 5 mm other than those at (c) above.	
	(i) Ungalvanised.	Rs. 275/- per tonne.
	(ii) Galvanised.	Rs. 354/- per tonne.
	(e) Fittings for steel pipes and tubes.	
	(i) Made of steel—	
	Ungalvanised.	Rs. 275/- per tonne.
	Galvanised	Rs. 354/- per tonne.
	(ii) Malleable iron fittings—	
	Ungalvanised.	Rs. 40/- per tonne.
	Galvanised.	Rs. 135/- per tonne.
3509	(a) Rails and sleeper bars.	Rs. 187/- per tonne.
	(b) Railway track materials other than rails and sleeper bars.	Rs. 202/- per tonne.

Provided that the rates of drawback on rails and sleeper bars shall not apply in respect of rails and sleeper bars which have been obtained by following the procedure prescribed under Chapter X of the Central Excise Rules, 1944 and exported.

3610	Spring steel bars.	Rs. 202/- per tonne.
3611	Steel bars and rods (Round square and flats).	Rs. 198/ per tonne.
3612	Steel castings, both un-machined and machined including cast steel components of engineering goods.	Rs. 112/- per tonne.
3613	Steel structurals light and heavy non-fabricated	
	(i) Ungalvanised.	Rs. 187/- per tonne.
	(ii) Galvanised.	Rs. 272/- per tonne.
3614	Bright bars and shafts made from mild steel.	Rs. 202/- per tonne.
3615	Steel flexible tubing.	Rs. 405/- per tonne.
3616	Iron castings both unmachined and machined including cast iron components of engineering goods and also including iron pipes and tubes all sorts and fittings for such pipes and tubes made of iron.	
	(i) Ungalvanised.	Rs. 40/- per tonne.
	(ii) Galvanised.	Rs. 135/- per tonne

3617	Steel wire products, namely wire gauge, mesh netting, chain link fencing steel strended wires, panel pins, steel wire and plate nails all sorts, steel barbed wire and wire brushes.	
	(i) Ungalvanised.	Rs. 196/- per tonne.
	(ii) Galvanised.	Rs 281/- per tonne.
3618	Tin plate products including tin plate containers (empty assembled or unassembled), tin plate components of containers tin plate washers or mathematical instruments Boxes, made of tin plate, advertisement tablets, trays, match box covers, screw caps and necks stove cleaning needles and desk pad made of tin plate.	Rs. 648/- per tonne.
3619	Hurricane Lantern.	Rs. 609/- per tonne.
3620	Belt fastners	Rs. 283/- per tonne.
3621	Bolts, nute and rivets and gate hooks and eves, steel screws and machine screws—	
	(i) Ungalvanised.	Rs. 202/- per tonne
	(ii) Galvanised.	Rs. 286/- per tonne
3622	Builder hardware, namely, hinges, hasps, staples, tower bolts, and pad locks	Rs. 202/- per tonne
3623	Collapsible gates.	Rs. 202/- per tonne.
3624	Enamelware.	Rs. 405/- per tonne.
3625	Galvanised steel buckets.	Rs. 361/- per tonne.
3626	Galvanised steel bath tubs.	Rs. 361/- per tonne.
3627	Galvanised steel water bottles.	Rs. 361/- per tonne.
3628	Miscellaneous hardware.	Rs. 202/- per tonne.
3629	Mild steel washer—	
	(i) Ungalvanised.	Rs. 283/- per tonne.
	(ii) Galvanised.	Rs. 361/- per tonne.
3630	Rolling shutters.	Rs. 283/ - per tonne.
3631	Assembled or unassembled steel drums, galvanised or black—	
	(i) Ungalvanised.	Rs. 283/- per tonne.
	(ii) Galvanised.	Rs. 361/- per tonne.
3632	Steel ghamelas/circles for ghamelas and pans.	Rs. 405/- per tonne.
3633	Steel rake multipronged.	Rs. 202/- per tonne.
3634	Steel rat traps and steel parts of rat raps.	Rs. 196/- per tonne.
3635	Steel safes, coffers and cash boxes.	Rs. 283/- per tonne.
3636	Steel tanks assembled or unassembled.	Rs. 213/- per tonne.
3637	Steel trunks.	Rs 283/- per tonne.
3638	Tipping wagons.	Rs. 218/- per tonne.

3639	Watering cans.	Rs. 283/- per tonne.
3640	Steel products not elsewhere specified—	
	(a) Ungalvanised.	Rs. 202/- per tonne.
	(b) Galvanised.	Rs. 286/- per tonne.
3702	Zinc products not elsewhere specified	Rs. 1·40 per kg.
3704	Solder wires and solder sticks, all sorts, whether resin cored or not containing lead and tin.	Rs. 11·50 per kg. of tin content and Rs. 1·35 per kg. of lead content.
3706	Articles made of Mazak.	Rs. 1·40 per kg.
3707	Brass semis, circles, sheets and extrusions.	Rs. 3·05 per kg.

Provided that rule 56A or rule 191-A or 191-B of the Central Excise Rules, 1944 has not been availed of in respect of the goods or articles.

3708	Gun Metal ingots and articles made therefrom.	Rs. 4·40 per kg.
3801	Brass manufacture including brass builders, hardware and artware.	
	(a) Utensils.	Rs. 3·90 per kg.
	(b) Other than utensils.	Rs. 3·05 per kg.

Provided that rule 56-A or rule 191-A or 191-B of the Central Excise Rules, 1944 has not been availed of in respect of the goods or articles.

3802	Mild steel paper pins and clips.	
	(A) Copper coated.	Rs. 314/- per tonne.
	(B) Other than copper coated.	Rs. 196/- per tonne.
3803	(i) Aluminium utensils and other circulars and oval shapped articles of 0·56 to 1·22 mm. thickness (both inclusive).	Rs. 1·50 per kg.
	(ii) Aluminium articles made from flat sheets, strips, coils, circles of thickness below 0·56 or above 1·22 mm.	Rs. 2·10 per kg.
	(iii) Aluminium articles (other than those specified in item 27 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and articles mentioned at sub-item (i) and (ii) above) not otherwise specified.	Rs. 1·38 per kg.

Provided that no benefit is availed of under rule 191-A or 191-B and no rebate is claimed under rule 12-A of the Central Excise Rules, 1944.

3808	Articles made of copper not otherwise specified—	
	(a) Utensils.	Rs. 5·00 per kg.
	(b) Other than utensils.	Rs. 4·13 per kg.
3809	Tin plate containers of 11·34 kg. capacity containing Cashew Kernels for which carbon dioxide is used for preservation.	(a) (i) Rs. 648/- per tonne of the net weight of empty containers as reduced by 12·5 gms. per each containers plus. (ii) Rs. 25/- per 1,000 containers, plus (iii) Rs. 69/- per 1,000 containers. (b) Rs. 380/- per 1,000 containers.

Provided that :—

(i) the drawback specified in sub clause (ii) of clause (a) will be granted if the exemption under this Ministry's notification No. 7/65-CE dt. the 30th January, 1965 has not been availed of ;

(ii) the drawback specified in clause (b) will be granted if the exporter produces evidence to the satisfaction of the Collector of Customs, that the tin plate containers used for export of cashew kernels have not been exempted from the payment of duty under item No. 46 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944).

3810	Sanitary cans, Dingley cans (including parts thereof) when exported in flattended form or otherwise or when used as containers for the export of—	(a) Whole of the duty if any paid under Item No. 46 of the First Schedule to the Central Excises and salt Act, 1944, plus
	(1) fish and fish products. (2) fruits and vegetable Products, and (3) condensed milk.	(b) Rs. 1100/- per tonne provided that where the exporters has not availed of the procedure under rule 12 or rule 191-A of the Central Excise Rules, 1944, the drawback at the rate specified at items (a) and (b) shall apply *in toto*; and where the exporter has availed of procedure under either of the said rules or where no duty under Item No. 46 of the First Sch. to the Central Excises and Salt Act, 1944 has been paid the rate of drawback at the rates specified in item (b) above shall apply.
3811	Jerry cans.	Rs. 283/- per tonne.
3812	Steelwire ropes all sorts (other than locked coiled wire ropes all sorts) with or without fibre core.	
	(a) Ungalvanised.	Rs. 364/- per tonne of ungalvanised steel content plus the drawback admissible in respect of sisal fibre content, and or Manila hemp fibre content, if any under sub-serial No. 2508 plus the drawback admissible in respect of jute fibre content under sub-Serial No. 2506.
	(b) Galvanised.	Rs. 488/- per tonne of galvanised steel content plus the drawback admissible in respect of sisal fibre content and or manila hemp fibre content, if any, under subserial No. 2508 plus the drawback admissible in respect of Jute fibre content under sub-serial No. 2506.
3817	Gun metal valves, all sorts and parts thereof.	(a) Rs. 4·40 per kg. of gun mental content. (b) Rs. 0·06 per kg. of iron content, (c) Rs. 13·50 per quintal of bolts and nuts.
3820	Safety razor blades.	
	(a) made from carbon steel strips.	Rs. 4·50 per 1000 blades.
	(b) made from stainless steel strips.	Rs. 9·90 per 1000 blades.
3821	Copper winding wire :	
	(a) of thicker than 24 gauge upto 14 gauge.	Rs. 4·15 per kg.
	(b) of 24 gauge and finer than 24.	Rs. 4·20 per kg.
3822	Articles made of lead not elsewhere specified.	Rs. 1350/- per tonne.
3823	Pressure cookers complete.	Rs. 1·57 per kg.

3902	Hand tools.	Rs. 202/- per tonne.
4102	Agricultural implements, namely steel ploughs, shovels, pickaxes, kodalies, hand sprayer, dusters, persian wheels.	Rs. 202/- per tonne.
4602	Copper cables and conductors, all sorts.	Rs. 4·15 per Kg. of copper content.
4603	All aluminium conductors.	Rs. 1·60 per kg.
4604	Insulated Aluminium cables or conductors.	(1) Rate admissible under Sub-Serial No. 4603 in respect of aluminium content. (2) Rate admissible under Sub-Serial No. 1921 in respect of PVC content. (3) Rate admissible under Sub-Serial No. 1914 in respect of Polythene content.
4605	Aluminium conductors steel re-inforced.	Rate of drawback applicable under sub-serial No. 4603 in respect of aluminium content plus the rate of drawback under Sub-Serial No. 3617 (i) or 3617 (ii) as the case may be in respect of steel core content.
4607	Polyvinyl chloride plastic cables.	(1) Rate admissible under Sub-Serial No. 1921 in respect of PVC content. (2) Rs. 4·15 per kg. of copper content.
4610	All types of cables and conductors insulated or otherwise not elsewhere specified.	(i) Rate of drawback applicable in respect of copper content under Sub-serial No. 4602, plus (ii) Rate of drawback applicable in respect of aluminium content under sub-serial No. 4603, plus (iii) Rate of drawback applicable in respect of tin content under sub-serial No. 3704, plus (iv) Rate of drawback applicable for lead content under sub-serial No. 3822, plus, (v) Rate of drawback applicable for zinc content under sub-serial, No. 3702, plus, (vi) Rs. 262/- per tonne of steel tape content, if any, plus (vii) Rs. 0·67 per kg. of PVC compound content, plus (viii) Rate of drawback applicable in respect of polythene content under sub-serial No. 1914, plus (ix) Rate of drawback applicable under sub-serial No. 1911 in respect of polyamide content, plus (x) Rate of drawback applicable in respect of jute content under sub-serial No. 2722, plus (xi) Rate of drawback applicable under sub-serial No. 3617 (i) or (ii) as the case may be for the steel core and wire content, plus

		(xii) Rs. 3·00 per kg. of the insulation paper content, if any, plus (xiii) Rs. 1·50 per kg. of the impregnating compound, if any.
5003	Trellics.	Rs. 202/- per tonne.
5202	Steel furniture (excluding tubular steel furniture and furniture tubes) including locker cabinets and other safe deposit equipment, strong doors, steel windows and doors, but excluding parts thereof made of stainless steel;	
	(a) made of steel sheets or strips of less than 5 mm thickness.	Rs. 283/- per tonne.
	(b) All others.	Rs. 202/- per tonne.
5803	Handicrafts and other articles made of alabaster.	Rs. 411·40 per tonne.
5903	Ivory products.	Rs. 50·68 per kg.

Subject to the condition that the exporter produces certificate in respect of each shipment that the products exported have been manufactured only out of imported ivory.

M. PANCHAPPA,
Director (Drawback).

सं० प्रतिग्रदायगी/पी० एन० 19/72 :—सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क—प्रतिग्रदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा० सं० 602/2/71-प्र० अ०) के नियम 4 के अन्तर्गत, केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिग्रदायगी/पी० एन० 1, दिनांक 15 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, जो 1 फरवरी, 1972 से लागू होंगे :—

उपक्रमांक 1106, 1111, 1416, 1417, 1418, 1419, 1702, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 2102, 2109, 2110, 2202, 2203, 2302, 2303, 2403, 2404, 2406, 2504, 2506, 2508, 2602, 2603, 2604, 2605, 2622, 2722, 2723, 2802, 2803, 3202, 3402, 3602, 3603, 3604, 3605, 3606, 3607, 3608, 3608, 3610, 3611, 3612, 3613, 3614, 3615, 3616, 3617, 3618, 3619, 3620, 3621, 3622, 3623, 3624, 3625, 3626, 3627, 3628, 3629, 3630, 3631, 3632, 3633, 3634, 3635, 3636, 3637, 3638, 3639, 3640, 3702, 3704, 3706, 3707, 3708, 3801, 3802, 3803, 3808, 3809, 3810, 3811, 3812, 3817, 3820, 3821, 3822, 3823, 3902, 4102, 4602, 4603, 4604, 4605, 4607 [illegible] 5003, 5202,

5803, और 5903 तथा उससे सबन्धित प्रविष्टियो के लिए निम्नलिखित परिस्थिति होगी, अर्थात् :—

उपक्रमांक	माल का विवरण	प्रतिअदायगी की दर
1106	लैंड नाइट्रेट	810 रु० प्रति टन
1111	नीला थोथा	131 रु० प्रति टन
1416	रक्त सिंदूर	1287.90 रु० प्रति टन
1417	सफेदा	1093.50 रु० प्रति टन
1418	मुद्रा सज्र	1252 80 रु० प्रति टन
1419	जिक आक्साइड	1187 00 रु० प्रति टन
1702	(i) सिनेमा फिल्मे—रजित	19.10 रु० प्रति सौ लीनियर मीटर
	(ii) सिनमा फिल्मे—अरजित	18.50 रु० प्रति सौ लीनियर मीटर
1906	एक्रिलिक मोल्डिंग चूर्ण से निर्मित वस्तुए अथवा किन्ही वस्तुओ के सघटक हिस्से (जिनमे कड़ा प्लास्टिक बोर्ड, चादरबन्दी चादरे तथा फिल्मे च, वे पतदार हो अथवा नही, और उनमे निर्मित वस्तुए शामिल नही है)।	

परन्तु यह तब जब कि उपर्युक्त वस्तुओ के निर्माण मे, निर्माता/निर्यातकर्त्ता द्वारा केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 56—क अथवा 191—क अथवा 191—ख के अन्तर्गत विहित कार्यविधियो का पालन नही किया जाता हो।

1907	सेलुलोज एसिटेट मोल्डिंग चूर्ण अथवा सेलुलोज एसिटेट की चादरो अथवा छडो अथवा ट्यूबो आदि से निर्मित वस्तुए अथवा उन वस्तुओ के सघटक हिस्से (जिनमे प्लास्टिक बोर्ड, चादरबदी चादरे तथा फिल्मे, चाहे वे परतदार हो अथवा न, शामिल न है)।	810 रु० प्रति क्विंटल

परन्तु यह तब जब कि निर्माता/निर्यात कर्ता द्वारा उक्त वस्तुओं के निर्माण में केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 56-क अथवा 191-क अथवा 191-ख के अधीन निर्धारित कार्यविधियों का पालन नहीं किया गया हो ।

1908	सेलुलोज एसिटेट ब्यूटिरेट मोल्डिंग पाउडर से निर्मित वस्तुएं अथवा ऐसी वस्तु के संघटक हिस्से (जिनमें कड़े प्लास्टिक बोर्ड, चादरबंदी चादरें तथा फिल्में चाहे वे पट्टीदार अथवा नहीं, शामिल नहीं हैं) ।	संगम आगम पत्र में प्रति क्विंटल सेलुलोज एसिटेट ब्यूटिरेट मोल्डिंग चूर्ण पर सदत्त आयात शुल्क की रकम या छः सौ बीस रुपये प्रति क्विंटल इन दोनों में जो भी कम हो ।

परन्तु यह तब जब कि निर्यातकर्ता सीमाशुल्क समाहर्ता को उसके समाधानप्रद रूप से साक्ष्य प्रस्तुत करे और निर्माता का इस आशय का प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करे कि निर्यात किए गए प्रति क्विंटल उत्पाद के निर्माण के लिए, ऐसे निर्यात की तारीख से तुरन्त पहले की 12 महीने की अवधि में निर्यातकर्ता अथवा निर्माता द्वारा 105 कि० ग्रा० सेलुलोज एसिटेट ब्यूटिरेट मोल्डिंग पाउडर का आयात किया गया है और उसका इस्तेमाल किया गया है और सेलुलोज एसिटेट ब्यूटिरेट मोल्डिंग पाउडर की इस मात्रा को—

(क) सेलुलोज एसिटेट ब्यूटिरेट मोल्डिंग पाउडर की वस्तुओं की किसी अन्य पूववर्ती निर्यात में किसी प्रकार सहसंबद्ध नहीं किया गया है तथा हिसाब में नहीं दिखाया गया है ।

(ख) प्रति अदायगी के दावे के साथ अथवा बिना किसी दावे के वैसे ही अथवा किसी भी अन्य रूप में इस प्रकार पुनर्निर्यात नहीं किया गया है ।

परन्तु यह भी कि विनिर्माता/निर्यातकर्ता द्वारा उक्त वस्तुओं के विनिर्माण में केन्द्रीय उत्पादशुल्क नियमावली, 1944 के नियम 56-क, अथवा 191-क अथवा 191-ख के अधीन निर्धारित कार्यविधियों का पालन नहीं किया गया हो ।

1909	सेलुलोज नाइट्रेट चादरों, छड़ों अथवा ट्यूबों से निर्मित वस्तुएं अथवा ऐसी वस्तुओं के संघटक हिस्से	संगम आगम में प्रति क्विंटल सलुलोज नाइट्रेट चादरों, छड़ों, ट्यूबों पर सदत्त आयात शुल्क की रकम या एक हजार चार सौ बहत्तर रुपये प्रति क्विंटल इन दोनों में से जो भी कम हो ।

परन्तु यह कि निर्यातकर्ता, सीमाशुल्क समाहर्ता को उसके समाधानप्रद रूप से साक्ष्य प्रस्तुत करे और निर्माता का भी इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करे कि निर्यात किए गए प्रति क्विंटल के उत्पाद के निर्माण के लिए, ऐसे निर्यात की तारीख से तुरन्त पहले की 12 महीने की अवधि में निर्यातकर्ता अथवा निर्माता द्वारा 105 किलोग्राम सेलुलोज नाइट्रेट की चादरों, छड़ों अथवा ट्यूबों

का आयात किया गया है तथा उसका इस्तेमाल किया गया है और सेलूलोज नाइट्रेट चादरों, छड़ों अथवा ट्यूबों की इस मात्रा को

(क) सेलूलोज नाइट्रेट चादरों, छड़ों अथवा ट्यूबों की वस्तुओं के किसी अन्य पूर्ववर्ती निर्यात में इसी प्रकार सम्बद्ध नहीं किया गया है तथा हिसाब में नहीं दिखाया गया है, अथवा

(ख) प्रतिआदायगी के दावे के साथ अथवा बिना किसी दावे के वैसे ही अथवा किसी भी अन्य रूप में इस प्रकार पुनर्निर्यात नहीं किया गया है।

परन्तु यह तब जबकि निर्माता/निर्यातकर्ता द्वारा उक्त वस्तुओं के निर्माण में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 56—क अथवा 191—क अथवा 191-ख के अधीन निर्धारित कार्य-विधियों का पालन नहीं किया गया हो।

1910 फिनौल फामलडिहाइड मोल्डिंग पाउडर से निर्मित वस्तुएं अथवा उनके संघटक हिस्से (जिनमें कड़े प्लास्टिक बोर्ड चादरबंदी, चादरें तथा फिल्में चाहे वह परतदार हों अथवा नहीं— शामिल नहीं हैं)

(क) विद्युतीय उपसाधकों के प्लास्टिक के हिस्से।

संगत आगम-पत्र में प्रति क्विंटल फिनौल फार्मलडिहाइड मोल्डिंग पाउडर पर संदत्त आयात शुल्क की रकम या नौ सौ रूपए प्रति क्विंटल इन दोनों में से जो भी कम हों।

परन्तु यह तब जबकि निर्यातकर्ता सीमा शुल्क समाहर्ता को उसके समाधानप्रद रूप से साक्ष्य प्रस्तुत करे और निर्माता का इस आशय का प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करे कि निर्यात किए गए प्रति क्विंटल उत्पाद के निर्माण के लिए, ऐसे निर्यात की तारीख से तुरन्त पहले की 12 महीने की अवधि में निर्यातकर्ता अथवा निर्माता द्वारा 110 कि० ग्रा० फिनौल फार्मलडिहाइड मोल्डिंग पाउडर का आयात किया गया है और उसका इस्तेमाल किया गया है और फिनौल फार्मलडिहाइड मोल्डिंग पाउडर का इस मात्रा को—

(क) फिनोल फामलडिहाइड मोल्डिंग पाउडर की वस्तुओं के किसी अन्य पूर्ववर्ती निर्यात में इसी प्रकार सहसबद्ध नहीं किया गया है तथा हिसाब में नहीं दिखाया गया है; अथवा

(ख) प्रतिआदायगी के दावेके साथ अथवा बिना किसी दावे के वैसे ही अथवा किसी भी अन्य रूप में इस प्रकार पुनर्निर्यात नहीं किया गया है; तो यह दर सम्पूर्णतया लागू होगी।

(ii) जहां उपरिनिर्दिष्ट साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जाते, वहां यह दर 164.00 रु० प्रति क्विंटल होगी।

परन्तु यह तब जबकि निर्माता/निर्यातकर्ता द्वारा उक्त वस्तुओं के निर्माण में केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 56-क अथवा 191-क अथवा 191-ख के अधीन निर्धारित कार्यविधियों का पालन नहीं किया गया हो ।

(ख) अन्य सभी वस्तुएं 164 रुपए प्रति क्विंटल ।

परन्तु यह तब जबकि निर्माता/निर्यातकर्ता द्वारा उक्त वस्तुओं के निर्माण में केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 56-क अथवा 191-क अथवा 191-ख के अधीन निर्धारित कार्यविधियों का पालन नहीं किया गया हो ।

1911	पोलिएमाइड मोल्डिंग पाउडर से निर्मित वस्तुएं अथवा वस्तुओं के संघटक हिस्से (जिनमें कड़ा प्लास्टिक बोर्ड, चादरबंदी, चादरें तथा फिल्में चाहे वे परतदार हों अथवा नहीं, शामिल नहीं हैं) ।	सगत आगम-पत्र में प्रति क्विंटल पोलिएमाइड मोल्डिंग पाउडर पर संदत्त आयात शुल्क की रकम या एक हजार पांच सौ अठ्ठावन रुपए इन दोनों में जो कभी कम हो ।

परन्तु यह तब जबकि निर्यातकर्ता सीमाशुल्क समाहर्ता को उसके समाधानप्रद रूप से साक्ष्य प्रस्तुत करे और निर्माता का इस आशय का प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करे कि निर्यात किए गए प्रति क्विंटल उत्पाद के निर्माण के लिए, ऐसे निर्यात की तारीख से तुरन्त पहले की 12 महीने की अवधि में निर्यातकर्ता अथवा निर्माता द्वारा 105 कि० ग्रा० पोलिएमाइड मोल्डिंग पाउडर का आयात किया गया है और उसका इस्तेमाल किया गया है और पालिमाइड मोल्डिंग पाउडर की इस मात्रा को :—

(क) पोलिएमाइड मोल्डिंग पाउडर की वस्तुओं के किसी अन्य पूर्ववर्ती निर्यात में इसी प्रकार सहसंबद्ध नहीं किया गया है तथा हिसाब में नहीं दिखाया गया है; अथवा

(ख) प्रति अदायगी के दावे के साथ अथवा बिना किसी दावे के वैसे ही अथवा किसी भी अन्य रूप में इस प्रकार पुनर्निर्यात नहीं किया गया है ;

परन्तु यह तब जबकि निर्माता/निर्यातकर्त्ता द्वारा उक्त वस्तुओं के निर्माण में केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियमावली 1944 के नियम 56-क अथवा 191—क अथवा 191—ख के अधीन निर्धारित कार्यविधियों का पालन नहीं किया गया हो ।

1912	एक्रिलिक चादरों से निर्मित वस्तु अथवा उसके संघटक हिस्से ।	सगत आगम-पत्र में प्रति क्विंटल एक्रिलिक चादरों पर संदत्त आयात शुल्क की रकम या छः सौ चव्वन रुपये इनमें से जो कम हो ।

परन्तु यह तब जबकि :—

(i) निर्यातकर्त्ता सीमाशुल्क समाहर्त्ता को उसके समाधानप्रद रूप से साक्ष्य प्रस्तुत करे और निर्माता का इस आशय का प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करे कि निर्मित किए गए प्रति क्विंटल उत्पाद के निर्माण

के लिए, ऐसे निर्यात की तारीख से तुरन्त पहले की 12 महीने की अवधि में निर्यातकर्ता अथवा निर्माता द्वारा 105 कि० ग्रा० एक्रिलिक चादरों का आयात किया गया हो, उसका इस्तमाल किया गया हो और एक्रिलिक चादरों की इस मात्रा को

(क) एक्रिलिक चादरों की वस्तुओं के किसी अन्य पूर्ववर्ती निर्यात में इसी प्रकार सहसंबद्ध नहीं किया गया है तथा हिसाब में नहीं दिखाया गया है; अथवा

(ख) प्रति अदायगी के दावे के साथ अथवा बिना किसी दावे के वैसे ही अथवा किसी भी अन्य रूप में इस प्रकार पुनर्निर्यात नहीं किया गया है ;

तो यह दर सम्पूर्णतया लागू होगी।

(ii) जहां उपरिलिखित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जाते वहां यह दर 576.00 रु० प्रति क्विंटल होगी।

परन्तु यह भी कि निर्माताओं/निर्यातकर्त्ताओं द्वारा उक्त वस्तुओं के निर्माण में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली 1944 के नियम 56-क अथवा 191-क अथवा 191-ख के अधीन निर्धारित कार्यविधियों का पालन नहीं किया गया हो ।

1913.	पोलिस्टिरीन मोल्डिंग पाउडर से बनी वस्तुएं अथवा उससे बनी किसी वस्तु के निर्माणक हिस्से (जिसमें कड़ा प्लास्टिक बोर्ड, शीटिंग, शीटें तथा फिल्में, चाहे वे लेमिनेटेड हों अथवा नहीं, शामिल नहीं हैं)	147.00 रु० प्रति क्विंटल

परन्तु यह कि निर्माताओं/निर्यातकर्ताओं द्वारा उक्त वस्तुओं के निर्माण में केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियमावली 1944 के नियम 56-क अथवा 191-क अथवा 191-ख के अधीन निर्धारित कार्यविधियों का पालन नहीं किया गया हो ।

1914.	पोलिथिलीन मोल्डिंग पाउडर से बनी वस्तुएं अथवा उससे बनी किसी वस्तु के निर्माणक हिस्से (जिसमें कड़ा प्लास्टिक बोर्ड, शीटिंग, शीटें तथा फिल्में, चाहे वे लेमिनेटेड हों अथवा नहीं, शामिल नहीं हैं) ।	131.00 रु० प्रति क्विंटल

परन्तु यह कि निर्माताओं/निर्यातकर्ताओं द्वारा उक्त वस्तुओं के निर्माण में केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियमावली 1944 के नियम 56-क अथवा 191-क अथवा 191-ख के अधीन निर्धारित कार्य-विधियों का पालन नहीं किया गया हो।

1915.	यूरिया फार्मल्डेहाइड मोल्डिंग पाउडर से बनी वस्तुएं अथवा उससे बनी किसी वस्तु के निर्माणक हिस्से (जिसमें कड़ा प्लास्टिक बोर्ड, शीटिंग, शीटें तथा फिल्में-चाहे वे लेमिनेटेड हों अथवा नहीं, शामिल नहीं हैं)।	217.00 रु० प्रति क्विंटल

परन्तु यह कि निर्माता/निर्यातकर्ता द्वारा उक्त वस्तुओं के निर्माण में केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियमावली 1944 के नियम 56–क अथवा 191–क अथवा 191–ख के अधीन निर्धारित कार्यविधियों का पालन नही किया गया हो ।

1916.	पोलिप्रोपीलीन मोल्डिंग पाउडर से बनी वस्तुए अथवा उससे बनी वस्तुओं के निर्माणक हिस्से (जिस में कड़ा पास्टिक बोर्ड, शीटिंग, शीट अथवा फिल्मे–चाहे वे लेमिनेटड हों अथवा नही—शामिल नही हैं) ।	संगत आगम-पत्र में पोलिप्रोपीलीन मोल्डिंग पाउडर के प्रति क्विंटल पर अदा की गई आयात शल्ककी रकम, अथवा 570रु० प्रति क्विंटल, इनमें से जो भी कम हो ।

परन्तु यह कि :–

(i) निर्यातकर्ता भीमा शुल्क समाहर्ती को उसके समाधानप्रद रुप मे साक्ष्य प्रस्तुत करें और निर्माता का इस आशय का प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करे कि निर्यात किय गपे प्रति क्विंटल उत्पाद के निर्माण के लिए, ऐसे निर्यात की तारीख से तुरन्त पहले की 12 महीने की अवधि में निर्यातकर्ता अथवा निर्माता द्वारा 105 किलोग्राम पोलिप्रोपीलीन मोल्डिंग पाउडर का आयात किया गया है तथा उसका इस्तेमाल किया गया है और यह कि पोलिप्रोपीलीन मोल्डिंग पाउडर की इस मात्रा को–

(क) पोलिप्रोपीलीन मोल्डिंग पाउडर की वस्तुओं के किसी अन्य पूर्ववर्ती निर्यात में इसी प्रकार मे सम्बन्ध नही किया गया है तथा हिसाब में नही दिखाया गया है; अथवा

(ख) प्रतिअदायगी के दावे के साथ अथवा बिना किसी दावे के वैसे ही अथवा किसी भी अन्य रुप में इस प्रकार पुनर्निर्यात नहीं किया गया है ;

तो वह दर सम्पूर्णतया लागू होगी ।

(ii) जहा उपरिनिर्दिष्ट साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाते वहां यह दर 131.00रु० प्रति क्विंटल होगी ।

परन्तु यह भी कि निर्माता/निर्यातकर्त्ता द्वारा उक्त वस्तुओं के निर्माण में केन्द्रीय उत्पाद-शल्क नियमावली 1944 के नियम 56–क अथवा 191–क अथवा 191–ख के अधीन निर्धारित कार्यविधियों का पालन नही किया गया हो ।

1917.	मेलामाइन फोरमल्डहाइड मोल्डिंग पाउडर से बनी वस्तुए अथवा उससे बनी किसी वस्तु के निर्माणक हिस्से (जिसमे कड़ा प्लास्टिक बोर्ड शीटिंग, शीटें अथवा फिल्मे–चाहे वे लेमिनेटड हों अथवा नहीं–शामिल नही है)	460.00 रु० प्रति क्विंटल

परन्तु यह कि निर्माता निर्यातकर्ता द्वारा उक्त वस्तुओं के निर्माण में केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियमावली 1944 के नियम 56–क अथवा 191–क अथवा 191–ख के अधीन निर्धारित कार्यविधियों का पालन नही किया गया हो ।

1918. पोलिविनील क्लोराइड कम्पोजिशन से बनी वस्तुए अथवा उससे बनी वस्तुओ के निर्माणिक हिस्से (जिसमें कड़ा प्लास्टिक बोर्ड, शीटिंग, शीटें तथा फिल्में– चाहे वे लिमिनेटेड हो अथवा नहीं' और लोचदार पोलिबीनील क्लोराइड शीटिंग शीटें, फिल्में तथा लेफ्लेट ट्यूविंग चाहे उनमें सूतीवस्त्र सामग्री हो अथवा नहीं–शामिल नहीं हैं)

(क) लोचदार	60.00 रु० प्रति क्विंटल
(ख) ठोस	99.00 रु० प्रति क्विंटल

परन्तु यह कि निर्माता/निर्यातकर्त्ता द्वारा उक्त वस्तुओ के निर्माण में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली 1944 के नियम 56-क अथवा 191-क अथवा 191-ख के अधीन निर्धारित का कार्यविधियों का पालन नहीं किया गया हो ।

1919. एक्रिलिक प्लास्टिक से बने गैर परतदार कड़ प्लास्टिक बोर्ड, शीटिंग, शीटें अथवा फिल्में	150.00 रु० प्रति क्विंटल
1920. सल्यूलोज एसीटेट मोल्डिंग पाउडर से बने गरे-परतदार कड़ा प्लास्टिक बोर्ड शीटिंग, शीटें अथवा फिल्में	430.00 रु० प्रति क्विंटल
1921. लोचदार पोलिविनील क्लोराइड शीटिंग, शीटें, फिल्में तथा लेफलेट ट्यूविंग जिनमें सूती वस्त्र सामग्री नहीं हो ।	67.00 रु० प्रति क्विंटल

परन्तु यह कि :–

(i) जहां उपर्युक्त वस्तुओं के निर्माण में निर्माता निर्यातकर्त्ता द्वारा केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियमावली 1944 के नियम 56क अथवा 191-क अथवा 191-ख के अधीन निर्धारित कार्यविधियों पालन नही किया हो वहां यह दर सम्पूर्णतया लागू होगी ।

(ii) जहां उपरिउल्लिखित कार्यविधियो का पालन किया गया हो वहां यह दर शून्य होगी ।

1922. स्टिरीन एक्रिलोनि टाइल कोपोलीमर से बनी वस्तुएं अथवा उससे बनी किसी वस्तु के निर्माणिक हिस्से (जिसमें कड़ा पलास्टिक बोर्ड, शीटिंग, शीटें और फिल्में चाहे वे लेमिनटेड हो अथवा नहीं शामिल नहीं है ।	संगत आगम-पत्र में स्टिरीन एक्रिलोनिटाइल कोपोलिमर के प्रति क्विंटल पर अदा की गई आयात शुल्क की रकम अथवा 462.00 रु० प्रति क्विंटल, इनमें से जो भी कम हो

परन्तु यह कि निर्यातकर्ता सीमाशुल्क समाहर्ता को उसके समाधानप्रद रूप से साक्ष्य प्र स्तुत करे और निर्माता को इस आशय का प्रमाणपत्र पेश करे और निर्यात किये गये प्रति क्विंटल उत्पाद के निर्माण के लिये ऐसे निर्यात की तारीख से तुरन्त पहले के 12 महीने की अवधि में निर्यातकर्ता अथवा निर्माता द्वारा 105 किलोग्राम स्टीरिन एक्रिलोनिट्राइल कोपोलिमर का आयात किया गया है तथा उसका इस्तेमाल किया गया है और स्टीरीन एक्रिलोनिट्राइल को पोलाइमर की वस्तुओं अन्य :—

(क) स्टीरीन एक्रिलोनिट्राइल को पोलाइमर की वस्तुओं के किसी अन्य पूर्ववर्ती निर्यात में इसी प्रकार सह संबद्ध किया गया है तथा हिसाब में नहीं दिखाया गया है ; अथवा

(ख) प्रति अदायगी के दावे के साथ अथवा बिना किसी दावे के वैसे ही अथवा किसी की अन्य रूप में इस प्रकार पुनर्निर्यात नहीं किया गया है ।

परन्तु यह भी कि निर्माता/निर्यातकर्ता द्वारा उक्त वस्तुओं के निर्माण में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली 1944 के नियम 56-क अथवा 191—क अथवा 191—ख के अधीन निर्धारित कार्यविधियों का पालन नहीं किया गया हो ।

1923	लैंसों/ग्लेमर ग्लासों सहित अथवा उनसे रहित चश्मे के फ्रेम, चश्मे तथा धूप के चश्मे-चाहे उनमें निम्नलिखित सामग्रियां फिट हों अथवा नहीं, अर्थात् हिंज, रिबट शील्ड, ज्वाइंट, वायर-इंसाइड्स	
	(क) सेलूलोज नाइट्रेट शीटों से बने :	पोतपर्यन्त मूल्य का 22 प्रतिशत ।
	(ख) सेललोज एसिटेंट शीटों से बने :	पोतपर्यन्त मूल्य का 35.5 प्रतिशत ।
1924	लैंसों/ग्लेयर ग्लासों सहित अथवा उनसे रहित चश्मे के फ्रेम/चश्मे तथा धूप के चश्मे—चाहे उनमें निम्नलिखित में से कोई सामग्री फिट हो अथवा नहीं—अर्थात् हिंज, रिबट, शील्ड, ज्वाइंट, वायर इंसाइड—किन्तु जिनमें निम्नलिखित में से एक अथवा अधिक सामग्री हो अर्थात् रोल्ड गोल्ड अथवा गोल्ड प्लेट वायर और/अथवा संघटक, एल्यू-मिनियम एनोडाइज्ड साइडें, प्लास्टिक नोज पैड, प्लास्टिक टिप :	
	(क) सैलूलोज नाइट्रट शीटों से बने :	पोतपर्यन्त मूल्य का 26.8 प्रतिशत ।
	(ख) सेलूलोज ऐसीटेट शीट से बने :	पोतपर्यन्त मूल्य का 25 प्रतिशत ।

1125	सेलूलोज ऐसीटेट मोल्डिंग पाउडर से बने, लैंसों/ग्लेयर ग्लासों सहित अथवा उनसे रहित चश्मे के ढ़ने फ्रेम/चश्मे तथा धूप के चश्मे चाहे उनमें निम्नलिखित सामग्रिया शामिल हों अथवा नहीं, अर्थात् हिंज, रिबट, शील्ड, ज्वाइंट, वायर इनसाइड, गोल्ड प्लेट वायर और/अथवा संघटक एल्यूमिनियम एनोडाइज्ड साइड, प्लास्टिक नोज पैड, प्लास्टिक टिप–	पोतपर्यन्त मूल्य का 17.8 प्रतिशत ।
1926	फ्रंट तथा साइड :	
	(क) सेलूलोज नाइट्रेट शीटों से बने	पोतपर्यन्त मूल्य का 21.1 प्रतिशत ।
	(ख) सेलूलोज ऐसीटेटशीटों से बने	पोतपर्यन्त मूल्य का 38.9 प्रतिशत ।
2102	(क) ई० आई० कमाया हुआ चमड़ा तथा बछड़े की खालें अर्थात् गाय की खालें, भैंस का चमड़ा तथा गाय व भैंस के बच्चों की खालें ।	0.61 रु० प्रति किलोग्राम ।
	(ख) ई० आई० कमाया हुआ चमड़ा अर्थात् बकरी की खाल तथा भेडों की खाल ।	0.66 रु० प्रति किलोग्राम ।
2109	सभी प्रकार के क्रोम लेदर वाशर . .	596 रु० प्रति मीटरिक टन ।
2110	लेदर पिकर	7.65 प्रति ग्रुस ।
2202	प्लाई-वुड पेनल से बनी, भरी हुई सम्पूर्ण चाय पेटियां	चाय की पेटियों के बाहरी हिस्से के क्षेत्र के प्रति 100 वर्ग मीटर पर 131 रु०
2203	प्लाई-वुड पेनल तथा चाय की पेटियों की फिटिंग	
	(i) चाय की पेटियों के लिये प्लाइवुड पेनल ।	4.50 रु० प्रति 100 वर्ग मीटर ।
	(ii) टिनप्लेट से बनी चाय पेटियों पर धातु की फिटिंग	0.60 रु० प्रति किलोग्राम ।
	(iii) वायर नेल, टेंटर हुक तथा रिबट	0.19 रु० प्रति किलोग्राम ।
	(iv) बैटनों पर चढ़ाने के लिये अथवा एल्यूमिनियम फोयलों के अस्तर के लिये टिस्सू पेपर ।	0.42 रु० प्रति किलोग्राम ।
	(v) एल्यूमिनियन फोयल . .	4.25 रु० प्रति किलोग्राम ।
2302	कार्क स्टापर	60.45 रु० प्रति क्विंटल ।
2303	कार्क डिस्क	64.00 रु० प्रति क्विंटल ।

2403	काला कार्बन पेपर जिसके निर्माण में आयातित टिस्सू पेपर का इस्तेमाल किया गया हो ।	बकसों में पैक कर दिये जाने की स्थिती में प्रत्येक सौ फुलस्केप शीटों के प्रति एक सौ बकसों पर 149.45 रु० और बकसों के पैक न होने की स्थिति में प्रति 10,000 फुलस्केप शीटो पर 145.30 रु० ।
2404	काले पेपर से भिन्न कार्बन पेपर जिसके निर्माण में आयातित टिस्सू पेपर का इस्तेमाल किया गया हो ।	बकसों में पैक किये जान की स्थिति में प्रति सौ फुलस्केप शीटों के एक सौ बक्सों पर 127.25 रु० और बकसों में पैके न होने की स्थिति में प्रति 10,000 फुलस्केप शीटों पर 123.10 रु० ।

नोट:—(1) उप-क्रमांक 2403 से 2404 के कालम 4 मे उल्लिखित "फुलस्केप" शब्द का अभिप्राय 330 मि० मी० × 215 मि० मी० आकार है ।

(2) फुलस्केप से भिन्न आकार के कार्बन पेपरो पर प्रति अदायगी दर उपरि निर्दिष्ट दर से अनुपातः उतना कम या अधिक होगी जितना कि ऐसे पेपर का क्षेत्र फुलस्केप आकार से बड़ा या छोटा होगा ।

2416	क्लिप लगी फ्लैट फाइले	(i) टिन प्लेट अन्तर्वस्तु का 648 रु० प्रति मी० टन । (ii) पल्प बोर्ड अन्तर्वस्तु का 440 रु० प्रति मी० टन ।
2504	सूती धागा—	
	(i) यदि धागा 60 एस काउंट से ऊपर का है ।	24.48 रु० प्रति क्विंटल ।
	(ii) यदि धागा 40 एस काउंट से ऊपर का है परन्तु 60 एस काउंट से ऊपर का नही है ।	6.92 रु० प्रति क्विंटल ।
2506	पटसन का धागा, टिबस्ट, बलित डोरी और रस्सी ।	560 रु० प्रति क्विंटल ।

बशर्ते कि निर्माता द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 12 के अधीन केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में छूट का दावा नहीं किया गया हो अथवा उक्त नियमावली के नियम, 191—क अथ वा 191—ख अधीन लाभ नहीं उठाया गया हो ।

2508	रस्से, लाइनें, जहाजी रस्से, बलित डोरियां तथा स्लिंग्स जो पूर्णतः अथवा अंशतः निम्नलिखित तन्तुओं से बनाये गये है —	
	(क) सिसल तन्तु	तन्तु की मात्रा का 364 रु० प्रति टन ।
	(ख) मनीलाभन तन्तु	तन्तु की मात्रा का 964.75रु० प्रति टन ।
2602	प्रक्रियागत फैब्रिक जिसमें धागे का औसत काउंट 60 एस से ऊपर हो ।	24.48 रु० प्रति क्विंटल ।
2603	अप्रक्रियागत फैब्रिक जिसमें धागे का औसत काउंट 60 एस से ऊपर हो ।	23.57 रु० प्रति क्विंटल ।
2604.	प्रक्रियागत फैब्रिक जिसमे धागे का औसत काउंट 40 एस से ऊपर हो और 60 एस से ऊपर नही हो ।	6.92 रु० प्रति क्विंटल
2605.	अप्रक्रियागत फैब्रिक जिसमें धागे का औसत काउंट 40 एस से ऊपर हो लेकिन 60 एस से ऊपर नही हो ।	6.66 रु० प्रति क्विंटल
2622.	पटसन फैब्रिक	
	(i) हेशियन . . .	605 रु० प्रति टन
	(ii) अन्य . . .	560 रु० प्रति टन

बशर्ते कि निर्माता द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 12 के अधीन केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में छूट का दावा नहीं किया गया हो अथवा उक्त नियमावली के नियम 191-क अथवा नियम 191-ख के अधीन लाभ नही उठाया गया हो ।

2722.	पटसन निर्मितियां जो अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं की गई हों ।	560 रु० प्रति टन

बशर्ते कि निर्माता द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 12 के अधीन केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में छूट का दावा नही किया गया हो । अथवा उक्त नियमावली के नियम 191-क अथवा नियम 191-ख के अधीन लाभ नहीं उठाया गया हो ।

2723.	पटसन तथा सिसल के कारपेट उत्पाद .	जहां तक सिसल तन्तु की मात्रा का सम्बन्ध है, उप-क्रम सं० 2508(क) के अन्तर्गत समुचित दर तथा उप-क्रम सं० 2622 के अन्तर्गत पटसन की मात्रा के लिए, यदि कोई हो, निर्धारित की गई समुचित दर ।
2802.	ऊनी कालीन	0.65 पैसे प्रति किलोग्राम

स्पष्टीकरण" :—ऊनी कालीन का तात्पर्य उस कालीन से है जिसमें ऊनी धागे की मात्रा 50 प्रतिशत से कम नही हो ।

2803.	कायर तथा सिसल की चटाइयां अथवा मैटिंग्स	जहां तक सिसल तन्तु की मात्रा का सम्बन्ध है, उप-क्रम सं० 2508(क) के अन्तर्गत समुचित दर तथा उप-क्रम सं० 2622 के अन्तर्गत पटसन की मात्रा के लिए, यदि कोई हो, निर्धारित की गई समुचित दर ।
3202.	एस्बेस्टोस सीमेंट उत्पाद . . .	एस्बेस्टोस की मात्रा का 699.12 रु० प्रति मीट्रिक टन तथा सीमेंट की मात्रा का 32.24 रु० प्रति मीट्रिक टन
3402.	(i) कांच जिसमें तार कांच और चित्रित कांच तथा कांच के बर्तन सम्मिलित हैं, जहां केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 12 के अधीन सुविधाओं का उपयोग किया गया हो :—	
	(क) परीक्षणशाला सम्बन्धी कांच के बर्तन ।	54.50 रु० प्रति टन
	(ख) अन्य . . .	12.80 रु० प्रति टन
	(ii) कांच जिसमें तार कांच और चित्रित कांच तथा कांच के बर्तन सम्मिलित हों परन्तु परीक्षणशाला सम्बन्धी कांच के बर्तन सम्मिलित नहीं हों, जहां केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 12 के अधीन उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग नहीं किया गया हो ।	152.80 रु० प्रति टन
3602.	मुद्रित क्लईदार प्लेटें/क्लईदार चादरें .	600 रु० प्रति टन

बशर्ते कि निर्यातकर्ता द्वारा मुद्रित क्लईदार प्लेटों/क्लईदार चादरों के निर्माण में उपयोग की जाने वाली क्लईदार प्लेटों/क्लईदार चादरों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 1944 के अधीन, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में छूट का दावा अलग से नहीं किया गया हो तथा निर्यात की गई वस्तुओं का निर्माण शुल्क अदा की गई क्लईदार प्लेट अथवा क्लईदार चादरों से किया गया हो ।

3603.	बेलिंग हूप्स	283 रु० प्रति टन
3604.	बाक्स स्ट्रेपिंग्स, इस्पात की पत्ती . .	283 रु० प्रति टन
3605.	विस्तारित धातु की निर्मित इस्पात संरचनाएं	283 रु० प्रति टन

3606.	नलिकाकार इस्पात संरचनाओं से भिन्न निर्मित इस्पात संरचनाएं—	
	(i) अजस्तीकृत . . .	196 रु० प्रति टन
	(ii) जस्तीकृत . . .	280 रु० प्रति टन
3607.	स्टील आर्क वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स . .	196 रु० प्रति टन
3708.	सभी प्रकार के इस्पात के पाइप और ट्यूबें जिनमें वैद्युत् कड्यूट पाइप, नलिकाकार इस्पात फर्नीचर, फर्नीचर ट्यूबें तथा गैस ट्यूबें और ऐसे पाइपों और ट्यूबों की फिटिंग सम्मिलित हैं :	
	(क) सीमलेस पाइप और ट्यूब—	
	(i) जस्तीकृत . .	212 रु० प्रति टन
	(ii) जस्तीकृत . .	295 रु० प्रति टन
	(ख) 5 मि० मि० तथा अधिक भित्ति मोटाई के पाइप और ट्यूब—	
	(i) अजस्तीकृत . .	212 रु० प्रति टन
	(ii) अजस्तीकृत . .	295 रु० प्रति टन
	(ग) स्केल्प अथवा सी० आर० चादरों अथवा सी० आर० पट्टियों से निर्मित 5 मि० मि० से कम भित्ति मोटाई के पाइप और ट्यूब—	
	(i) अजस्तीकृत . .	393 रु० प्रति टन
	(ii) जस्तीकृत . .	464 रु० प्रति टन

बशर्ते कि यदि निर्यात करते समय निर्माता सीमाशुल्क के सहायक समाहर्ता के समाधानप्रद रूप में ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत करता है कि माल का निर्माण स्केल्प अथवा सी० आर० चादरों अथवा सी० आर० पट्टियों से किया गया है तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की उप-मद सं० 26 के अन्तर्गत स्केल्प/सी० आर० चादरों/सी० आर० पट्टियों पर लागू दर पर इस प्रकार के स्केल्प/सी० आर० चादरों/सी० आर० पट्टियों पर शुल्क अदा किया गया है तो उपर्युक्त उप-मद (ग) पर दी गई प्रति अदायगी की दरें लागू होंगी ।

	(घ) उपर्युक्त (ग) पर दिये गये पाइपों और ट्यूबों से भिन्न 5 मि० मी० से कम भित्ति मोटाई वाले पाइप और ट्यूब—	
	(i) अजस्तीकृत . .	275 रु० प्रति टन
	(ii) जस्तीकृत . .	354 रु० प्रति टन

	(ङ) इस्पात के पाइपों और ट्यूबों के लिए फिटिंग—	
	(i) इस्पात से निर्मित—	
	अजस्तीकृत . . .	275 रु० प्रति टन
	जस्तीकृत . . .	354 रु० प्रति टन
	(ii) वर्धनीय लौह फिटिंग्स—	
	अजस्तीकृत . . .	40 रु० प्रति टन
	जस्तीकृत . . .	135 रु० प्रति टन
3609.	(क) पटरियां और स्लीपर बार . .	18.7 रु० प्रति टन
	(ख) पटरियों और स्लीपर बार से भिन्न रेल पथ-सामग्री . . .	202 रु० प्रति टन

बशर्ते कि पटरियों और स्लीपर बार पर लागू प्रति अदायगी की दरें उन पटरियों और स्लीपर बार के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगी जिन्हें केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 1944 के अध्याय X के अन्तर्गत निर्धारित कार्यविधि का अनुसरण करके उपलब्ध किया गया है तथा जिनका निर्यात किया गया है ।

3610.	स्प्रिंग स्टील बार . . .	202 रु० प्रति टन
3611.	इस्पात की छड़ें और शलाकें (गोल, चौकोर और चपटे) ।	198 रु० प्रति टन
3612.	गैर-मशीनीकृत तथा मशीनीकृत दोनों स्टील कास्टिंग जिनमें इंजीनियरी सामान के ढले हुए इस्पात के उद्योग सम्मिलित हैं ।	112 रु० प्रति टन,
3613	हल्की तथा भारी अनिर्मित इस्पात संरचनाएं	
	(i) अजस्तीकृत	187 रु० प्रति टन
	(ii) जस्तीकृत	272 रु० प्रति टन
3614.	नरम इस्पात से निर्मित चमकीली छड़ें और शाफ्ट	202 रु० प्रति टन
3615.	इस्पात की नम्य ट्यूबें	405 रु० प्रति टन
3616.	गैर-मशीनीकृत तथा मशीनीकृत, दोनों प्रकार का ढला लोहा जिसमें इंजीनियरी सामान के ढले लोहे के उपांग तथा सभी प्रकार के लोहे के पाइप और ट्यूबें तथा ऐसे पाइप और ट्यूबों के लिए लोहे से निर्मित फिटिंग भी शामिल हैं :—	
	(i) अजस्तीकृत	40 रु० प्रति टन
	(ii) जस्तीकृत	135 रु० प्रति टन

3617.	इस्पात-तार उत्पाद, अर्थात् बायर गेज, मेश नैटिंग, चेन लिंक, फैन्सिंग स्टील स्ट्रेडई वायर, पेनल पिनें, सभी प्रकार के इस्पात के तार तथा प्लेटों की कीलें, इस्पात के कांटेदार तार तथा तार के ब्रुश।	
	(i) अजस्तीकृत	196 रु० प्रति टन
	(ii) जस्तीकृत	281 रु० प्रति टन
3618.	टिन प्लेट उत्पाद जिनमें टिन प्लेटों के आधान (खाली संयोजित अथवा असंयोजित), आधानों के टिन प्लेट उपांग टिन प्लेट वाशर, अथवा टिन प्लेटों के गणितीय यन्त्रों के डिब्बे, टिन प्लेटों से बने विज्ञापन पटल, ट्रे दियासलाई के ढक्कने, पैंचदार ढक्कन और गर्दनी, स्टोव को साफ करने वाली सुइयां, टिन प्लेट से निर्मित डैस्क पैड सम्मिलित हैं।	648 रु० प्रति टन
3619.	हरीकेन लालटेन	609 रु० प्रति टन
3620.	पट्टा कसने के यन्त्र (फासनर्स)	283 रु० प्रति टन
3621.	चटखनियां, क़िबरियां तथा रिपटें और दरवाजों के हुक और आंखें, इस्पात के पैंच और मशीन के पैंच।	
	(i) अजस्तीकृत	202 रु० प्रति टन
	(ii) जस्तीकृत	286 रु० प्रति टन
3622.	भवन निर्माण सम्बन्धी लोहे की सामग्री, अर्थात्, कब्जे, कुण्डियां, स्टेपल, चटखनियां तथा ताले	202 रु० प्रति टन
3623.	कोलेप्सिबिल गेट	202 रु० प्रति टन
3624.	तापचीनी का सामान	405 रु० प्रति टन
3625.	इस्पात की जस्तेदार बाल्टियां	361 रु० प्रति टन
3626.	इस्पात के जस्तेदार नहाने के टब	361 रु० प्रति टन
3627.	इस्पात की जस्तेदार पानी की बोतलें	361 रु० प्रति टन
3628.	विविध लोह-सामग्री	202 रु० प्रति टन
3629.	नरम इस्पात के बाशर—	
	(i) अजस्तीकृत	283 रु० प्रति टन
	(ii) जस्तीकृत	361 रु० प्रति टन

3630.	रालिंग गटर	283 रु० प्रति टन
3631.	जुड़े अथवा बिना जुड़े इस्पात के ड्रम, जस्तीकृत अथवा काले ।	
	(i) अजस्तीकृत	283 रु० प्रति टन
	(ii) जस्तीकृत	361 रु० प्रति टन
3632.	इस्पात के गमले/गमलों तथा कड़ाहियों के वृत्त	405 रु० प्रति टन
3633.	इस्पात का बहुकांटेदार पांचा	202 रु० प्रति टन
3634.	इस्पात के चूहेदान तथा चूहेदान के इस्पात के पुर्जे	196 रु० प्रति टन
3635.	इस्पात की अलमारी, सन्दूक तथा रोकड़ बाक्स	283 रु० प्रति टन
3636.	जुड़े अथवा बिना जुड़े इस्पात के टैंक	213 रु० प्रति टन
3637.	इस्पात के ट्रंक	283 रु० प्रति टन
3638.	टिप्पिंग वैगन	218 रु० प्रति टन
3639.	पानी देने की बाल्टियां	283 रु० प्रति टन
3640.	इस्पात के उत्पाद जो अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं हों	
	(क) अजस्तीकृत	202 रु० प्रति टन
	(ख) जस्तीकृत	286 रु० प्रति टन
3702.	जिंक के उत्पाद जो अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं हों	1.40 रु० प्रति कि० ग्रा०
3704.	सभी प्रकार के टांका लगाने की तारें तथा टांका लगाने की छड़ें चाहे, सीसा एवं टीन के, रोसन क्रोड हो अथवा नहीं ।	टीन अन्तर्वस्तु का 11.50 रु० प्रतिकिलोग्राम तथा सीसा अन्तर्वस्तु का 1.35 रुपये प्रति किलोग्राम ।
3706.	मेजक से विनिर्मित वस्तुएं	1.40 रुपये प्रति किलोग्राम
3707.	तांबे की सैमी सर्कल, शीट तथा एक्सट्रूजन	3.05 रुपये प्रति किलोग्राम

किन्तु इसमें शर्त यह है कि माल एवं वस्तुओं के सम्बन्ध में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली 1944 के नियम 56-क अथवा 191-क अथवा 191-ख का लाभ नहीं उठाया गया हो ।

3708.	गन मैटल ढले तथा उनसे विनिर्मित वस्तुएं	4.40 रुपये प्रति किलोग्राम
3801.	बास बिल्डर, लौहपात्र तथा कलावस्तुओं समेत पीतल की निर्मितियां	
	(क) बर्तन	3.90 रु० प्रति किलो ग्राम
	(ख) बर्तनों से भिन्न	3.05 रु० प्रति किलोग्राम

किन्तु इसमें शर्त यह होगी कि माल एवं वस्तुओं के सम्बन्ध में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली 1944 के नियम 56-क अथवा 191-क अथवा 191-ख का लाभ नहीं उठाया गया हो।

3802.	नरम इस्पात पेपर पिन तथा क्लिप	
	(क) ताम्र-लेपित	314 रु० प्रति टन
	(ख) ताम्र-लेपित से भिन्न]	196 रु० प्रति टन
3803.	(i) अल्युमीनियम के बर्तन तथा 0.56 से 1.22 मिलीमीटर की मोटाई (दोनों के समेत) की अन्य गोलाकार एवं अंडाकार वस्तुएं	1.50 रु० प्रति किलोग्राम
	(ii) 0.56 से नीचे अथवा 1.22 मिलीमीटर से ऊपर मोटाई के चतटे शीटों, स्ट्रिपों, कोयलों सर्कलों से विनिर्मित अल्युमीनियम वस्तुयें।	2.10 रु० प्रति किलोग्राम
	( ) अल्युमीनियम वस्तुएं जो अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं हों (केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा लवण अधिनियम 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद 27 में विनिर्दिष्ट तथा उपर्युक्त उपमद (i) एवं (ii) में उल्लिखित वस्तुओं से भिन्न दूसरी वस्तुओं।	1.38 रुपये प्रति किलोग्राम

किन्तु इसमें शर्त यह है कि केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 191-क अथवा 191-ख के अन्तर्गत कोई सुविधा का लाभ नहीं उठाया गया हो तथा नियम 12-क के अन्तर्गत छूट का कोई दावा नहीं किया गया हो।

3808.	ताम्र से निर्मित वस्तुएं जो अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं हों	
	(क) बर्तन	5.00 रु० प्रति किलोग्राम
	(ख) बर्तनों से भिन्न	4.13 रु० प्रति किलोग्राम
3809.	काज भरे 11.34 किलोग्राम की क्षमता के टिन प्लेट के आधान, जिसके परिरक्षण के लिए कार्बन डायाक्साइड प्रयुक्त की जाती है	(क) (i) प्रत्येक आधान के लिए 12.5 ग्राम वजन घटाकर खाली आधानों के निबल भार का 648 रुपये प्रति टन; तथा
		(ii) प्रति 1,000 आधानों का 25 रुपये; तथा
		(iii) प्रति 1,000 आधानों का 69 रुपये।
		(ख) प्रति 1,000 आधानों का 380 रुपये।

परन्तु इसमें शर्त यह है कि :—

(i) यदि मंत्रालय की अधिसूचना सं० 7/65 के० उ० शु०, दिनांक 30 जनवरी, 1965 के अन्तर्गत छूट का लाभ नहीं उठाया गया हो तब खंड (क) के उप-खंड (ii) में विनिर्दिष्ट प्रति अदायगी मंजूर की जायेगी ।

(ii) यदि निर्यातकर्ता समाहर्ता, सीमाशुल्क, की सन्तुष्टि के लिए यह साक्ष्य प्रस्तुत करता है कि काजू की गिरी के निर्यात के लिए प्रयुक्त होने वाले टिन प्लेट आधानों पर, केन्द्रीय उत्पादशुल्क तथा लवण अधिनियम 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद 46 के अन्तर्गत शुल्क अदायगी से छूट नहीं मिली हो, तब खंड (ङ) में विनिर्दिष्ट प्रति-अदायगी मंजूर की जायेगी ।

3810	सफाई की बाल्टियां, डिंगले बाल्टियां (उनके पुर्जों समेत), तब जबकि उनका निर्यात खपटे अथवा अन्यथा रूप में किया गया हो अथवा जबकि वे निम्नलिखित वस्तुओं के निर्यात हेतु आधानों के रूप में प्रयुक्त की गयी हों :— (1) मछली तथा मछली उत्पाद (2) फल तथा सब्जी उत्पाद; तथा (3) संघनित दूध ।	(क) यदि केन्द्रीय उत्पादशुल्क तथा लवण अधिनियम, 1944 की प्रथम अनुसूची की मद सं० 46 के अधीन कोई शुल्क अदा किया गया हो तो सम्पूर्ण शुल्क; तथा (ख) 1100/– रुपये प्रति टन, किन्तु शर्त यह है कि यहां निर्यातकर्ताओं ने केन्द्रीय उत्पादशुल्क नियमावली, 1944 के नियम 12 अथवा 191–क के अधीन कार्यविधि का लाभ नहीं उठाया हो, तब प्रति अदायगी मद (क) एवं (ख) में विनिर्दिष्ट दर के अनुसार पूरी तरह से लागू होगी; तथा जहां निर्यातकर्ता ने उपर्युक्त नियमों के अधीन किसी भी प्रक्रिया का लाभ उठाया हो अथवा जहां कि केन्द्रीय उत्पाशुल्क तथा लवण अधिनियम, 1944 की प्रथम अनुसूची की मद सं० 46 के अधीन कोई शुल्क अदा नहीं किया गया हो तब ऊपर की मद (ख) में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार प्रति-अदायगी दर लागू होगी ।
3811	जेरी कैन	283/– रुपये प्रति टन ।
3812	तन्तु कोर के साथ अथवा तन्तु कोर से रहित सभी प्रकार की इस्पात के तार की रस्सियां [सभी प्रकार की गुम्फित (लाकड) लच्छेदार (क्वाइल्ड) तार की रिस्सयों से भिन्न]	

	(क) अजस्तीकृत	अजस्तीकृत इस्पात अन्तर्वस्तु का 364/– रुपये प्रति टन, तथा सीसल (बांस) तन्तु अन्तर्वस्तु के संबंध में स्वीकार्य प्रति-अदायगी, तथा/अथवा मनीला हैम्प तन्तु अन्तर्वस्तु यदि कोई उप-क्रम सं० 2508 के अन्तर्गत हों; तथा उप-क्रम सं० 2506 के अन्तर्गत सन तन्तु अन्तर्वस्तु के संबंध में स्वीकार्य प्रति अदायगी ।
	(ख) अस्तीकृत	अस्तीकृत इस्पात अन्तर्वस्तु का 488/– रुपये प्रति टन; तथा उप-क्रम सं० 2508 के अन्तर्गत सिसल अन्तर्वस्तु तथा/अथवा मनीला हैम्प तन्तु अन्तर्वस्तु यदि कोई हो तो उसके संबंध में स्वीकार्य प्रति-अदायगी; तथा उपक्रम सं० 2506 के अन्तर्गत पटसन तन्तु अन्तर्वस्तु के संबंध में स्वीकार्य प्रति-अदायगी ।
3817	सभी प्रकार के गन धातु आल्ब तथा उनके पुर्जे ।	(क) गन धातु अन्तर्वस्तु का 4.40 रुपये प्रति किलोग्राम । (ख) लौह अन्तर्वस्तु का 0.06 रुपये प्रति किलोग्राम । (ग) बोल्ट एवं नट का 13.50 रुपये प्रति क्विंटल ।
3820	सेफ्टी रेजर ब्लेड	
	(क) कार्बन इस्पात स्ट्रिप से निर्मित ।	4.50 रुपये प्रति 1000 ब्लेड
	(ख) स्टेनलैस स्टील स्ट्रिप से निर्मित ।	9.90 रुपये प्रति 1000 ब्लैड ।
3821	तांबे का लपेटने का तार	
	(क) 14 गेज तक का 24 गेज से मोटा	4.15 रुपये प्रति किलोग्राम ।
	(ख) 24 गेज का तथा 24 गेज से बढ़िया ।	4.20 रुपये प्रति किलोग्राम ।
3822	सीसे से निर्मित वस्तुएं, जो अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं हों ।	1350 रुपये प्रति टन ।

3823	तैयार प्रेशर कुकर	1.57 रुपये प्रति किलोग्राम ।
3902	हैंड टूल	202 रुपये प्रति टन ।
4102	कृषि-साधन, जैसे—इस्पात के हल; फावड़े, गैंतियां, कुदालियां, हाथ से छिड़काव करने के उपकरण, डस्टर, पर्थिन पहिये ।	202 रुपये प्रति टन ।
4602	सभी प्रकार के ताम्र केबल तथा कण्डक्टर ।	ताम्र अन्तर्वस्तु का 4.15 रुपये प्रति किलोग्राम ।
4603	सभी एल्युमीनियम कंडक्टर	1.60 रुपये प्रति किलोग्राम ।
4604	इन्सुलेटेड एल्युमीनियम केबल अथवा कंडक्टर ।	(1) एल्युमीनियम अन्तर्वस्तु के संबंध में उप-क्रम सं० 4603 के अन्तर्गत स्वीकार्य दर। (2) पी०वी०सी० अन्तर्वस्तु के संबंध में उप क्रम सं० 1921 के अन्तर्गत स्वीकार्य दर । (3) पोलीथीन अन्तर्वस्तु के संबंध में उप-क्रम सं० 1914 के अन्तर्गत स्वीकार्य दर ।
4605	प्रवलित इस्पात एल्युमीनियम कंडक्टर	एल्युमीनियम अन्तर्वस्तु के संबंध में उप-क्रम सं० 4603 के अन्तर्गत लागू होने वाली प्रति अदायगी दर तथा इस्पात कोर अन्तर्वस्तु के संबंध में उप-क्रम सं० 3617 (i) अथवा 3617 (ii) जैसी भी स्थिति हो, के अन्तर्गत प्रति अदायगी दर ।
4607	पोलिविनील क्लोराइड प्लास्टिक केबल ।	(1) पी० वी० सी० अन्तर्वस्तु के संबंध में उप-क्रम सं० 1921 के अन्तर्गत स्वीकार्य दर । (2) ताम्र अन्तर्वस्तु का 415 रुपये प्रति किलोग्राम ।
4610	सभी किस्म के इन्सुलेटेड केबल तथा कंडक्टर अथवा जो अन्यथा अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं हो ।	(i) ताप अन्तर्वस्तु के संबंध में उप-क्रम सं० 4602 के अन्तर्गत लागू होने वाली प्रतिअदायगी दर; तथा

(ii) एल्यूमिनियम अन्तर्वस्तु के संबंध में उप-क्रम सं० 4603 के अन्तर्गत लागू होने वाली प्रतिग्रदायगी दर; तथा

(iii) टिन अन्तर्वस्तु के संबंध में उप-क्रम सं० 3704 के अन्तर्गत लागू होने वाली प्रतिग्रदायगी दर; तथा

(iv) सीमा अन्तर्वस्तु के लिए उप-क्रम सं० 3822 के अन्तर्गत लागू होने वाली प्रतिग्रदायगी दर; तथा

(v) जिंक अन्तर्वस्तु के लिए उप-क्रम सं० 3702 के अन्तर्गत लागू होने वाली प्रतिग्रदायगी दर ; तथा

(vi) इस्पात टेप अन्तर्वस्तु यदि कोई हो तो, उसका 262 रु० प्रति टन ; तथा

(vii) पी०वी० सी० यौगिक अन्तर्वस्तु का 0.67 रुपए प्रति किलोग्राम ; तथा

(viii) उप-क्रम सं० 1914 के अधीन पोलीथीन अन्तवस्तु के संबंध में लागू प्रतिग्रदायगी दर ; तथा

(ix) उपक्रम सं० 1911 के अधीन अन्तर्वस्तु के संबंध में लागू प्रतिग्रदायगी की दर ; तथा

(x) उप-क्रम सं० 2722 के अधीन पटसन अन्तर्वस्तु के संबंध में लागू प्रतिग्रदायगी की दर ; तथा

(xi) इस्पात अभ्यंतर और तार अन्तर्वस्तु के बारे में उपक्रम सं० 3617 (i) अथवा (ii) जैसा भी मामला हो, के अधीन लागू प्रतिग्रदायगी की दर, तथा

(xii) रोधन कागज अन्तवस्तु, आगे कोई हो, का 3 रु० प्रति किलोग्राम; तथा

(xiii) अनुप्राषित मिश्रण, यदि कोई हो, का 1.50 रु० प्रति कि० ग्रा०

5003	जालियां	202 रु० प्रति टन
5202	इस्पात का फर्नीचर (नलिकाकार इस्पात के फर्नीचर और फर्नीचर नलिकाओं को छोड़कर) लाकर कैबीनेटों और अन्य सेफडिपाजिट उपकरणों, मजबूत दरवाजों, इस्पात की खिड़कियों और दरवाजों सहित, परन्तु स्टेनलैस इस्पात के बने उनके हिस्सों को छोड़कर;	
	(क) 5 मि० मी० से कम मोटी इस्पात की चादरों अथवा स्ट्रिपों के बने	233 रु० प्रति टन
	(ख) अन्य सभी	202 रु० प्रति टन
5803.	सिलखड़ी की बनी दस्तकारियां तथा अन्य सामान	411.40 रु० प्रति टन
5803	हाथी दांत का सामान	50.68 रु० प्रति कि० ग्रा०

बशर्ते कि निर्यातकर्ता प्रत्येक नौ-भरण के बारे में यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है कि निर्यात किया गया सामान केवल आयातित हाथी दांत से बनाया गया है ।

एम० पचप्पा,

निर्देशक (प्रति-प्रदायगी) ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972